मदनसिंह - करणीराम 74/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3-1-24	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पो[illegible]न्स की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही बहस दिनांक 5/2/24 को पेश हो।	
5-2-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 5-3-24 को पेश हो।	
5-3-24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1-4-24 को पेश होवे	
1.4.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 2.5.24 को पेश हो।	
2-5-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.6.24 को पेश हो।	
3-6-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.7.24 को पेश हो।	
3.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 10/7/24 को पेश हो।	
10/7/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

पीठासीन अधिकारी एवं
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74 / 2023

1 मदन सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र हणमान सिंह
2 जगदीश सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र सवाई सिंह
3 सज्जन सिंह उम्र 80 वर्ष पत्नी सवाई सिंह
4 सुदेश सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र सवाई सिंह
5 सुरेश सिंह उम्र 45 वर्ष सवाई सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पालड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज. मो. नं. 9887740632

अपीलांट

बनाम

1 करणीराम पुत्र भोलू
2 चुन्नीलाल पुत्र भोलू
3 मामराज पुत्र भोलू
4 भगवानी पत्नी भोलू
5 बनवारीलाल पुत्र भूराराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पालड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पालड़ी सीकर जरिये मैनेजर
7 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूदन सीकर जरिये मैनेजर
8 तहसीलदार लक्षमणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बउनवानी करणीराम वगै. बनाम मदन सिंह वगै. मुकदमा नम्बर 09/2022 अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 26.09.2023

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफुल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

2

–निर्णय–

दिनांकः– 18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा 09/2022 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1116/487, 1122/487 वाके पालड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे अवस्थित रास्ते को 15 फीट तक विस्तारित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरित जाकर चुनौतिग्रस्त निर्णय रेस्पोडेन्ट को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है जबकि अधिनियम की धारा 251 ए (1) में स्पष्ट किया गया है कि 'यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है।' इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी काश्तकार को रास्ता उसकी सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं कराया जायेगा बल्कि उसे वास्तविक रूप से आवश्यकता होनी आवश्यक है राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के कब्जे स्वामित्व के खेत खसरा नम्बर 255 कुआ व 257/2 कृषि भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 256 कुआ व 257/3 कृषि भूमि है जो खातेदार है तथा इनके पूर्वी ओर कटाणशुदा रास्ता खसरा नम्बर 1100/260 जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है जो निकटतम व सुविधायुक्त रास्ता है विचारण न्यायालय ने व तहसीलदार की रिपोर्ट में उक्त रास्ता मात्र 60 मीटर की दूरी पर ही अवस्थित है इसी बाबत अपीलान्ट ने मौका आपत्ति प्रस्तुत की थी लेकिन विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर मात्र आपत्ति बहस सुनकर अन्तिम निर्णय कर भारी कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 255, 256, 257/2, 257/3 के पूर्वी ओर रास्ता खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नम्बर 1100/260 जो मात्र 60 मीटर की दूरी पर है तथा कटाणशुदा रास्ता है जो आगे के खेतों में व मुख्य चारागाह भूमि को भी मिलाता है को तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में अंकित नहीं किया मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की गरज से व आगे कोई कटाणशुदा रास्ता न होते हुए भी गैर कानूनी तरीके से खसरा नम्बर 1122/487 व 1116/487 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता कायम कर वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 492 में प्रवेश करा दिया जो कि सरकारी भूमि है तथा उसमें कोई रास्ता कानूनन कायम नहीं किया जा सकता तथा नाही मौके पर कोई रास्ता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदेही का व समुचित बचाव पैरवी व दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बिना व जवाब दावा बन्द किये बिना मात्र आपत्ति बहस सुनी गयी थी उसी के आधार पर अन्तिम निर्णय पारित कर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के रिकार्ड पर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 में दर्शित रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी तथा अन्य निकटतम रास्ता कटाणशुदा अवस्थित है जो मात्र 60 मीटर की दूरी पर है इसके बावजूद अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 1122/487 व 1116/487 की उत्तरी सीमा की ओर जो रास्ता कायम किया गया है उसको खसरा नम्बर 492 जिसमें कि कोई रास्ता नहीं आ रहा है ना ही मौके पर उपलब्ध है मात्र खसरा नम्बर 492 में ले जाकर छोड दिया गया है इस प्रकार उक्त रास्ता सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया गया है जो अधिनियम की मंशा के विपरित है तथा मात्र आपत्ति पर बहस सुनी गयी थी इसके बावजूद प्रक्रिया का दुरूपयोग कर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 से 5 दिनांक 16.08.2022 को जरिये वकील उपस्थित हुये है। दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 06.12.2022 तक आठ तारीख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पेशियों पर अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इसके उपरांत 06.12.2022 को जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके उपरांत भी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 18.04.2023 को अपीलांट की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति को खारिज कर तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता दिया गया है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर 10 फीट चौड़ा रास्ता चालु है। आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि दिया गया रास्ता निकटतम व लघुत्तम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदक का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 से 5 दिनांक 16.08.2022 को जरिये वकील उपस्थित हुये है। दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 06.12.2022 तक आठ तारीख पेशियों पर अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इसके उपरांत 06.12.2022 को जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके उपरांत भी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 18.04.2023 को अपीलांट की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति को खारिज कर तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता दिया गया है। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर 10 फीट चौड़ा रास्ता चालु है। आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रास्ता नहीं है। आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि दिया गया रास्ता निकटतम व लघुत्तम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदक का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते